

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 421]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 14 अक्टूबर 2019—आश्विन 22, शक 1941

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 अक्टूबर 2019

क्र. एफ-2-7-2018-छब्बीस-1.—दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (क्रमांक 49 सन् 2016) की धारा 101 के तहत मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम-2017 के नियम 17 के प्रावधानों के अधीन निःशक्त व्यक्तियों (दिव्यांगजन) के लिये पदों के चिन्हांकन हेतु अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 16 मई 2019 को मंत्रालय में आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल के द्वारा अधिसूचना की अनुसूची-एक में ऊर्जा विभाग की स्थापनाओं की अनुसूची-दो में दी गयी विशिष्टियों के अनुसार निःशक्त व्यक्तियों के आरक्षण हेतु पदों का चिन्हांकन किया जाता है:—

अनुसूची—“एक”

(1) ऊर्जा विभाग

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बूटासिंह इवने, उपसचिव.

## अनुसूची "दो"

निःशक्तजनों के लिये पदों का चिन्हांकन

विभाग का नाम:- ऊर्जा विभाग (मध्यप्रदेश विद्युत निरीक्षकालय)

श्रेणी	पद/सर्वर्ग का नाम	सीधी भरती के लिये स्वीकृत पद	योग	निःशक्तजनों के लिये चिन्हांकित पदों की संख्या कुल योग (6 प्रतिशत)	चिन्हांकित पद/सर्वर्ग एवं संख्या				योग (6+7+8+9)	रिमांक
					दृष्टि बाधित और कम दृष्टि 1.5 %	बहरे और कम सुनने वाले 1.5 %	लोकोमोटर डिसेबिलिटी (सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बोनापन, एसिडऑटिक पीडित मस्कुलर डिस्ट्राफी) 1.5 %	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लार्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी एवं बहुविकलांगता 1.5 %		
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
द्वितीय श्रेणी	सहायक यंत्री	13	13	01	00	00	01	00	01	इस प्रकार स्वीकृत पद के अनुसार पूर्व से (31.03.2018) मरे हुए हे। कॉलम 9 से संबंधित पदों का आगामी बर्ती के समय ध्यान रखा जावेगा।
तृतीय श्रेणी	उपयंत्री, विद्युतकार, सहायक ग्रेड-3	223	223	13	00	00	01	00	01	
	योग:-	223	223	13	03	04	03	03	13	
चतुर्थ श्रेणी	गृह्य	49	49	03	01	01	01	00	03	
	योग:-	49	49	03	01	01	01	00	03	

बूटासिंह इवने, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 14 अक्टूबर 2019

क्र. एफ-2-7-2018-छब्बीस-1.—दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (क्रमांक 49 सन् 2016) की धारा 101 के तहत मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम-2017 के नियम 17 के प्रावधानों के अधीन निःशक्त व्यक्तियों (दिव्यांगजन) के लिये पदों के चिन्हांकन हेतु अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 2 जुलाई 2019 को मंत्रालय में आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल के द्वारा अधिसूचना की अनुसूची-एक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की स्थापनाओं की अनुसूची-दो में दी गयी विशिष्टियों के अनुसार निःशक्त व्यक्तियों के आरक्षण हेतु पदों का चिन्हांकन किया जाता है:—

**अनुसूची—“एक”**

(1) पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

**बूटासिंह इवने, उपसचिव.**

**अनुसूची “दो”**

**निःशक्तजनों के लिये पदों का चिन्हांकन**

**विभाग : पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग**

श्रेणी	पद/संवर्ग का नाम	सीधी भर्ती के लिये स्वीकृत पद	योग	निःशक्त जनों के लिये चिन्हांकित पदों की संख्या कुल योग (06 प्रतिशत के मान से)	चिन्हांकित पद/संवर्ग एवं संख्या				योग (6+7+8+9)	रिगार्क
					दृष्टि बाधित और कम दृष्टि (1.5 प्रतिशत)	बहरे और कम सुनने वाले (1.5 प्रतिशत)	लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित हैं, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित, मस्क्युलर डिस्ट्राफी (1.5 प्रतिशत)	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता (1.5 प्रतिशत)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
द्वितीय	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत विकास खण्ड अधिकारी	172	172	10	3	2	3	2	10	
	विकास खण्ड अधिकारी	143	143	9	2	3	2	2	9	
	<b>योग</b>	<b>315</b>	<b>315</b>	<b>19</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>19</b>	

**बूटासिंह इवने, उपसचिव.**

भोपाल, दिनांक 14 अक्टूबर 2019

क्र. एफ-2-7-2018-छब्बीस-1.—दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (क्रमांक 49 सन् 2016) की धारा 101 के तहत मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम-2017 के नियम 17 के प्रावधानों के अधीन निःशक्त व्यक्तियों (दिव्यांगजन) के लिये पदों के चिन्हांकन हेतु अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 12 जुलाई 2019 को मंत्रालय में आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल के द्वारा अधिसूचना की अनुसूची-एक में नगरीय विकास एवं आवास विभाग की स्थापनाओं की अनुसूची-दो में दी गयी विशिष्टियों के अनुसार निःशक्त व्यक्तियों के आरक्षण हेतु पदों का चिन्हांकन किया जाता है:—

**अनुसूची—“एक”**

(1) नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

**बूटासिंह इवने, उपसचिव.**

## अनुसूची "दो"

निःशक्तजनों के लिये पदों का चिन्हांकन

विभाग : नगरीय विकास एवं आवास विभाग

श्रेणी	पद/संवर्ग का नाम	सीधी मर्ती के लिये स्वीकृत पद	योग	निःशक्त जनों के लिये चिन्हांकित पदों की संख्या कुल योग (06 प्रतिशत के मान से)	चिन्हांकित पद/संवर्ग एवं संख्या				योग (6+7+8+9)	रिमांक
					दृष्टि बाधित और कम दृष्टि (1.5 प्रतिशत)	बहरे और कम सुनने वाले (1.5 प्रतिशत)	लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित हैं, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बीनापन, एसिड अटैक पीड़ित, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी (1.5 प्रतिशत)	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता (1.5 प्रतिशत)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
द्वितीय	सहायक यंत्री (सिविल)	24	24	01	00	01	00	00	01	
	सहायक यंत्री (विद्युत)	02	02	00	00	00	00	00	00	
	शाखा अधिकारी/संपदा प्रबंधक	11	11	01	01	00	00	00	01	
	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	02	02	00	00	00	00	00	00	
	सहायक वास्तुविद	01	01	00	00	00	00	00	00	
तृतीय	उप यंत्री(सिविल)	296	296	18	05 (कमदृष्टि)	04	05	04	18	
	उपयंत्री (विद्युत)	28	28	02	00	01	00	01	02	
	डाटाएन्ट्री आपरेटर	19	19	01	01	00	00	00	01	
	सहायक	385	385	23	06	06	06	05	23	
चतुर्थ	भृत्य	318	318	19	04	05	05	05	19	
	योग	1086	1086	65	17	17	16	15	14	

बूटासिंह इवने, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 14 अक्टूबर 2019

क्र. एफ-2-7-2018-छब्बीस-1.—दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (क्रमांक 49 सन् 2016) की धारा 101 के तहत मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम-2017 के नियम 17 के प्रावधानों के अधीन निःशक्त व्यक्तियों (दिव्यांगजन) के लिये पदों के चिन्हांकन हेतु अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 14 जून 2019 को मंत्रालय में आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल के द्वारा अधिसूचना की अनुसूची-एक में गृह विभाग की स्थापनाओं की अनुसूची-दो में दी गयी विशिष्टियों के अनुसार निःशक्त व्यक्तियों के आरक्षण हेतु पदों का चिन्हांकन किया जाता है:—

## अनुसूची—“एक”

(1) गृह विभाग

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बूटासिंह इवने, उपसचिव.

**अनुसूची "दो"**

निःशक्तजनों के लिये पदों का चिन्हांकन

विभाग : गृह विभाग

होम गार्ड तथा नागरिक सुरक्षा मध्यप्रदेश

श्रेणी	पद/संवर्ग का नाम	सीधी भर्ती के लिये स्वीकृत पद	योग	निःशक्त जनों के लिये चिन्हांकित पदों की संख्या कुल योग (06 प्रतिशत के मान से)	चिन्हांकित पद/संवर्ग एवं संख्या				योग (6+7+8+9)	टिप्पणियाँ
					दृष्टि बाधित और कम दृष्टि (1.5 प्रतिशत)	बहरे और कम सुनने वाले (1.5 प्रतिशत)	लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित हैं, सेरेब्रल पाल्सी, कृष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित, मस्क्युलर डिस्ट्रॉफी (1.5 प्रतिशत)	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता (1.5 प्रतिशत)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
द्वितीय	जिला सेनानी/ जूनियर स्टाफ आफिसर/ क्वार्टर मास्टर/ मुख्य अनुदेशक होमगार्ड्स म.प्र.	20	20	1	0	0	0	0	0	वर्दीघा शी पद होने के कारण चिन्हांकन से मुक्त
	<b>योग</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
तृतीय	शीघ्रलेखक ग्रेड-3	9	9	0	0	0	0	0	0	
	सहायक ग्रेड 3	104	104	6	2	2	1	1	6	
	<b>योग</b>	<b>113</b>	<b>113</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	
चतुर्थ	सिपाही अर्डली	6	6	0	0	0	0	0	0	
	भृत्य	84	84	5	1	2	1	1	5	
	कुक	82	82	5	1	2	1	1	5	
	फर्राश	1	1	0	0	0	0	0	0	
	फटीक मेन	2	2	0	0	0	0	0	0	
	सहायक फोटोग्राफर	1	1	0	0	0	0	0	0	
	फालोवर	78	78	4	1	2	1	0	4	
	<b>योग</b>	<b>254</b>	<b>254</b>	<b>14</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	
	<b>महायोग :-</b>	<b>387</b>	<b>387</b>	<b>21</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>20</b>	

## मेडिकोलीगल संस्थान

श्रेणी	पद/संवर्ग का नाम	सीधी भर्ती के लिये स्वीकृत पद	योग	निःशक्त जनों के लिये चिन्हांकित पदों की संख्या कुल योग (06 प्रतिशत के मान से)	चिन्हांकित पद/संवर्ग एवं संख्या				योग (6+7+8+9)	रिमांक
					दृष्टि बाधित और कम दृष्टि (1.5 प्रतिशत)	बहरे और कम सुनने वाले (1.5 प्रतिशत)	लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित हैं, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित, मस्कुलर डिस्ट्राफी (1.5 प्रतिशत)	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता (1.5 प्रतिशत)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
द्वितीय	मेडिकल ऑफीसर अ. मेडिकल	7	7	1	0	0	1	0	1	
	ब. नॉन-मेडिकल	4	4	0	0	0	0	0	0	
	योग	11	11	1	0	0	1	0	1	
तृतीय	शीघ्र लेखक	2	2	0	0	0	0	0	0	
	सहायक ग्रेड 3	2	2	1	1	0	0	0	1	
	प्रयो. सहायक	2	2	0	0	0	0	0	0	
	फोटोग्राफर	1	1	0	0	0	0	0	0	
	वाहन चालक	1	1	0	0	0	0	0	0	
	योग	8	8	1	1	0	0	0	1	
चतुर्थ	प्रायो. परिचारक	2	2	0	0	0	0	0	0	
	भृत्य	5	5	1	0	1	0	0	1	
	स्वीपर	4	4	0	0	0	0	0	0	
	योग	11	11	1	0	1	0	0	1	
	महायोग :-	30	30	3	1	1	1	0	3	

बूटासिंह इवने, उपसचिव.